

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



थाना श्रीनगर पुलिस टीम ने निर्दयता पूर्वक पशु तश्करी कर रहे 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन में जनपद में अपराध की रोंकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा चलाये जा रहे गिरफ्तारी/धरपकड़ अभियान के क्रम में दिनांक 22.09.2021 को क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री उमेश चन्द्र के पर्यवेक्षण में तथा थाना श्रीनगर प्रभारी निरीक्षक श्री अनिल कुमार द्वारा गठित उ0नि0 राजेन्द्र प्रकाश के नेतृत्व में टीम ने मुखबिर की सूचना पर 02 नफर अभियुक्तों को कैमाहा नहर पुलिया से 05 राशि भैसों को जिनको अभियुक्तों द्वारा बोलेरो पिकप मे निर्दयता पूर्वक लादकर ले जा रहे थे को गिरफ्तार किया गया, जिस पर अभियुक्तों के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 149/21 धारा 11 ड. पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार करने वाली टीम - .

- 1. उ0नि0 राजेन्द्र प्रकाश
- 2. हे0का0 रामकरन पटेल
- 3. कां0 अनुज कुमार 4. कं0 उपेन्द्र कुमार 5. कां0 प्रदीप मौर्या।

गिरफ्तार अभियुक्त-

- 1. आदिल खान पुत्र यूनूस खान
- 2. शमशेर खान पुत्र जावेद खान

निवासीगण वार्ड नं0 16 नालापार थाना नौगाव जनपद छतरपुर म0प्र0।







महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



थाना अजनर पुलिस टीम ने अवैध शराब के

साथ अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर जनपद में अवैध मदिरा के निर्माण, व्यापार तथा तस्करी के उन्मूलन हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 23.09.2021 को क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री तेजबहादुर सिंह के पर्यवेक्षण में शराब के अवैध कारोबार में लिप्त अपराधियों के विरुद्ध धरपकड़ अभियान के तहत थानाध्यक्ष अजनर श्री लाखन सिंह द्वारा गठित व.उ.नि. श्री रामप्रताप यादव के नेतृत्व में टीम ने मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त शैलेन्द्र सिंह S/O अर्जुन सिंह R/O मवईया थाना अजनर जिला महोबा उम्र 20 वर्ष को 22 अदद क्वार्टर देशी शराब के साथ सिचाई विभाग निरीक्षण भवन वहद ग्राम कस्वा अजनर से गिरफ्तार किया गया, वाद आवश्यक कार्यवाही करते हुये उपरोक्त अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु.अ.स. 166/2021 धारा 60 आबकारी एक्ट पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

शैलेन्द्र सिंह S/O अर्जुन सिंह R/O मवईया थाना अजनर जिला महोबा उम्र 20 वर्ष।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1. वरिष्ठ उ.नि. श्री रामप्रताप यादव थाना अजनर जनपद महोबा
- 2. का. नरेन्द्र बाबू 3. का. आसवेन्द्र सिंह
- 4. चालक का. बलजीत सिंह थाना अजनर जिला महोबा।







महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



"परिवार परामर्श केन्द्र"

कमेटी ने 02 परिवार को बिखरने से बचाया-

आज दिनाँक 23.09.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर पुलिस लाइन अवस्थित सभा कक्ष में "परिवार परामर्श केन्द्र" कार्यक्रम समस्त सदस्यगणों की उपस्थिति में आयोजित किया गया, जिसमें कुल 03 मामलों को सुना गया, जिसमें परिवार परामर्श के सदस्यों के सूझबूझ से पित-पत्नी के मध्य आपसी मनमुटाव व कलह को दूर करते हुये पित-पत्नी का आपसी समझौता कराकर खुशी-खुशी वापस घर भेजा गया एवं अन्य मामले में अगली तारीख दी गई है।

इस दौरान प्रभारी एण्टी रोमियो/मिशन शक्ति निरीक्षक रचना सिंह, महिला थानाध्यक्ष शिल्पी शुक्ला, म0कां0 कविता देवी, म0कां0 चांदनी वर्मा, समाजसेविका GGIC प्राचार्य श्रीमती सरगम खरे, समाजसेवी श्री शरद तिवारी दाऊ, श्री शिवकुमार गोस्वामी, मो0 हनीफ आदि सम्मानित सदस्यगणों की मौजूदगी सराहनीय रही।

निस्तारित किये गये मामले का विवरणः-

- 1. श्रीमती रजनी पत्नी भूपेन्द्र चौरसिया नि0 शेखनपुरा थाना कोतवाली महोबा जनपद महोबा।
- 2. श्रीमती रेखा यादव पत्नी अभिषेक उर्फ रामसहाय नि0 वन विभाग कालोनी मोहल्ला वन विभाग कालोनी रामनगर थाना कोतवाली महोबा जनपद महोबा।









<u>प्रेस विज्ञप्ति</u> <u>दिनांकः- 23.09.2021</u>



सोशल मीडिया सेल



थाना अजनर पुलिस टीम ने अवैध शराब के

साथ अभियुक्ता को किया गिरफ्तार-


पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर जनपद में अवैध मदिरा के निर्माण, व्यापार तथा तस्करी के उन्मूलन हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 23.09.2021 को क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री तेजबहादुर सिंह के पर्यवेक्षण में शराब के अवैध कारोबार में लिप्त अपराधियों के विरुद्ध धरपकड़ अभियान के तहत थानाध्यक्ष अजनर श्री लाखन सिंह द्वारा गठित कएचसीपी बृजबिहारी भोड़ेले मय हमराह का. आसवेन्द्र सिंह व म.का. पिकी यादव के नेतृत्व में टीम ने मुखबिर की सूचना पर अभियुक्ता शर्मीली W/O राजू कबूतरा उम्र 25 वर्ष जिसके कब्जे से एक प्लास्टिक की पिपिया में करीब 15 ली. कच्ची शराब के साथ कबूतरा डेरा खोई थाना अजनर से बरामद करते हुये गिरफ्तार किया गया, वाद आवश्यक कार्यवाही उपरोक्त अभियुक्ता के विरुद्ध मृ.अ.स. 167/2021 धारा 60 आबकारी एक्ट पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्ता-

शर्मीली **W/O** राजू कबूतरा निवासी खोई कबूतरा डेरा थाना अजनर महोबा उम्र 25 वर्ष जनपद महोबा।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

- 1. एचसीपी बृजबिहारी भोड़ेले थाना अजनर जनपद महोबा
- 2. का. आसवेन्द्र सिंह थाना अजनर जिला महोबा
- 3.म.का. पिंकी यादव थाना अजनर जिला महोबा









सोशल मीडिया सेल



थाना महोबकंठ पुलिस टीम ने सार्वजनिक स्थान

पर हार-जीत की बाजी लगा रहे 03 नफर

अभियुक्तों को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर जनपद में अपराध की रोंकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे गिरफ्तारी अभियान के क्रम में आज दिनांक 23.09.2021 को क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री तेजबहादूर सिंह के निकट पर्यवेक्षण में अवैध जुआ/शराब हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत थानाध्यक्ष महोबकंठ श्री सुनील कुमार तिवारी द्वारा गठित उ0नि0 नीरज कुमार के नेतृत्व में टीम ने अभियान में शामिल होकर सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेल रहे 03 नफर अभियुक्तगण क्रमशः (1)राजेश राजपूत पुत्र हरप्रसाद राजपूत उम्र करीब22 वर्ष निवासी ग्राम उमरई थाना महोबकंठ जिला महोबा (2) मोनू गुप्ता पुत्र रामकिशन गुप्ता उम्र करीब 25 वर्ष निवासी ग्राम व कस्बा हरपालपुर जिला छतरपुर (3) गनेश पुत्र तुलसीदास अहिरवार उम्र करीब 28 वर्ष निवासी ग्राम बगरौनी थाना महोबकंठ जनपद महोबा को तालाब के पास नीम के पेड़ के नीचे वह्द ग्राम टुडर से जरिये ताश पत्ता हारजीत की बाजी लगाकर जुआँ खेलते हुये पकडा गया जिसके सम्बन्ध में उपरोक्त अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु.अ.सं. 132/21 धारा 13 जुआँ अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

- 1. उ0नि0 नीरज कुमार
- 2. का0 अंकुश पाल 3.का0 विकाश सरोज 4. का0 विशाल नामदेव

बरामदगी- मालफड़- 1290 रु0/- व जामातलाशी-970 रु0/-







<u>प्रेस विज्ञप्ति</u> <u>दिनांकः- 23.09.2021</u>

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



मिशन शक्ति अभियान के तहत बालिकाओं एवं महिलाओं को किया गया जागरुक।

"मिशन शक्ति" अभियान के तहत नारी सुरक्षा/नारी सम्मान/नारी स्वावलंबन के प्रति महिलाओं एवं बालिकाओं में सशक्तिकरण व विश्वास का वातावरण बनाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर जनपद में महिलाओं एवं बालिकाओं को सशक्त एवं निर्भीक बनाने हेतु लगातार जागरुक अभियान चलाया जा रहा है।

इसी क्रम में आज दिनांक 23.09.2021 को नोडल अधिकारी मिशन शक्ति निरीक्षक रचना सिंह द्वारा थाना कोतवाली महोबा अन्तर्गत मुख्य बाजार/चौराहों/कोचिंग संस्थाओं में जाकर महिलाओं एवं बालिकाओं को जागरुक एवं सशक्त बनाये जाने के उद्देश्य से "मिशन शक्ति फेज 3.0" अभियान के तहत स्कूल की सभी छात्राओं को जागरूक किया गया एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बालिकाओं/महिलाओं की सुरक्षा एवं सहायता हेतु संचालित विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों 1090 वूमेन पावर लाइन, 181 महिला हेल्पलाइन, 108 एंबुलेंस सेवा, 1076 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 112 पुलिस आपातकालीन सेवा, 1098 चाइल्ड लाइन, 102 स्वास्थ्य सेवा, 155260 साइबर सुरक्षा आदि के बारे में भी जागरुक किया गया तथा प्रत्येक थाने पर महिला शिकायतकर्ता के लिए स्थापित महिला हेल्प डेस्क के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गयी।





















सोशल मीडिया सेल



थाना कबरई पुलिस टीम ने वारण्टी

अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन में जनपद में अपराध की रोंकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे गिरफ्तारी अभियान के क्रम में आज दिनांक 23.09.2021 को क्षेत्राधिकारी नगर श्री रामप्रवेश राय के निकट पर्यवेक्षण में वाछिंत / वारंटी अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में थानाध्यक्ष कबरई श्री दिनेश सिंह के द्वारा गठित उ0नि0 शिवरतन गुप्ता के नेतृत्व में टीम के द्वारा मु0नं0 1612/2004 सरकार बनाम बलराम सम्बन्धित मु.अ.सं. 269/2004 धारा 5/25 आर्म्स एक्ट थाना कबरई से सम्बन्धित वारन्टी अभियुक्त बलराम प्रजापित पुत्र बागी प्रजापित उम्र 43 वर्ष नि0 ग्राम बबेडी थाना कबरई जिला महोबा को ग्राम बबेडी थाना कबरई से गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

- 1. उ0नि0 शिवरतन गुप्ता
- 2. कां0 इन्द्रपाल चौहान

गिरफ्तार अभियुक्त-

बलराम प्रजापति पुत्र बागी प्रजापति उम्र 43 वर्ष नि0 ग्राम बबेडी थाना कबरई जिला महोबा।









सोशल मीडिया सेल



जनपदीय पुलिस द्वारा जनपद में पैदल गस्त करके करबे में की गई संदिग्धों की चेकिंग



आज दिनाँक 23.09.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के कुशल निर्देशन में जनपद में शान्ति/कानून-व्यवस्था के मद्देनजर समस्त थानों द्वारा अपने थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार, धार्मिक-स्थल, बस-स्टैण्ड, ढाबा आदि जगहो पर पैदल गस्त करके संदिग्ध वाहनों/व्यक्तियों की चेकिंग की गई तथा सुरक्षा के दृष्टिगत मन्दिरों में पुलिस तैनात किया गया है, साथ ही लोगो को कोविड संक्रमण की तीसरी लहर के प्रति सचेत करते हुए मास्क का प्रयोग व 02 गज की दूरी सहित कोविड गाइडलाइन का पालन करने की अपील की गई। इसी क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा

शराब कि दुकानों का निरीक्षण किया गया एवं सेल्समैन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

यातायात नियमों के उल्लंघन पर 83 ई-चालान किये गये।











